


राजस्व आवेदन संख्या 834 / 2024 अगताग ईशाराग वगीराह बगाग अर्जुनराग वगीराह
आदेश

1104125 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील मौजा मायलो का डेर पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 241 रकबा 0.0728 हेक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 0.0890 हेक्टर, खसरा संख्या 289 / 247 रकबा 6.1836 हेक्टर, खसरा संख्या 297 / 274 रकबा 2.1044 हेक्टर व खसरा संख्या 337 / 243 रकबा 29.1292 हेक्टर, भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार हैं।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मायलो का डेर पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 241 रकबा 0.0728 हेक्टर, खसरा संख्या 242 रकबा 0.0890 हेक्टर, खसरा संख्या 289 / 247 रकबा 6.1836 हेक्टर, खसरा संख्या 297 / 274 रकबा 2.1044 हेक्टर व खसरा संख्या 337 / 243 रकबा 29.1292 हेक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के महेनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500 / - अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुगार होकर दाखिल दफतर हो।


उप खण्ड अधीक्षक
बाडमेर